

माह 10/20 20/20

रिपोर्ट पटवारी एवं/अर्द्धपटवारी
आवेदन पत्र को सुचना में नाम की गई। जिसके अनुसार
प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम पर विशेष कुमार का लाल-कट्टा किया जा रहा है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/मुन्नागौड़जी

दिनांक -

क्रमांक राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी माध्यम उदयपुरवाटी को प्रेषित कर मिले हैं कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिसूचना की जाती है/नहीं की जाती है।

उत्तरत निम्नानुसार
रजिस्ट्रार

तहसीलदार उदयपुरवाटी/मुन्नागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला मुन्ना (राज.)
आदेश -

दिनांक -

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षी एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/मुन्नागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/मुन्नागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	किरावडी	2015-78	120	हितेश कुमार श्री सुरजमल	लाल-कट्टा 3/0 श्री सुरजमल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 7/12/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/2077

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/मुन्नागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्राथी/प्राथीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

